



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद-सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-7/ 2026

श्यामा देवी आदि	बनाम	महेश आदि।
वाद की प्रकृति	स्थायी निषेधाज्ञा	
वाद का मूल्यांकन	3000/-रुपये	
अधिवक्ता का नाम	श्री सुशील तिवारी	
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	05.01.2026	

यह वाद-पत्र वादीगण द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील तिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तदनुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/ दाखिल लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनांक-06.02.2026 को पेश हो।

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

J.O.Code-UP3474

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2

वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग2 मय शपथ-पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी में अक्षर ए,बी,सी,डी, से प्रदर्शित वादीय अहाता स्थित ग्राम प्रीतमपुर मजरे मुण्डेरा, परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर निर्माण कराने, पूरब स्थित खड़जा रास्ते से खेत प्रतिवादीगण तक रास्ता कायम करने तथा वादीगण के स्वामित्व व कब्जे में किसी भी प्रकार का अवैध हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची सबूत कागज संख्या-9ग1 से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं पृथक से तीन किता वादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ क्रमशः कागज संख्या-10ग1 लगायत 10ग1/ 3 दाखिल पत्रावली की गयी है।

कार्यालय की आख्यानसार प्रस्तुत मामले में कैबिण्ट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना-पत्र 6ग2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक-06.02.2026 हेतु जारी हो। वादीगण आवश्यक पैरवी करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/ लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनांक-06.02.2026 को पेश हो।

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

.....(P.T.O)

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8ग2

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8ग2वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिशनर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग2 स्वीकार किया जाता है।

वादीगण जरिये अमीन कमिशनर विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करें। अमीन कमिशनर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अमीन कमिशनर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांक:-05.01.2026

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)